

No. HQ/PIO/RTI/227/14

Dt: 22.09.2014


**Sh. Shakti Singh Chauhan,**  
"Shakti Kunj", Near Railway Line,  
Subhash Nagar,  
Byawar Road, Ajmer,  
Rajasthan-305001.

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: Your application dt. 02.08.2014, received in this office on 22.09.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

- 5(i) व 5(iii):- DFCCIL के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 तथा राष्ट्रीय पुर्नवास व पुर्नस्थापना, 2007 के तहत किया जाता है। इन्हीं पर आधारित "Entitlement Matrix" के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जाता है। इनसे संबंधित सूचना DFCCIL के कार्यालयों में उपलब्ध है। आप नियमानुसार अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं।  
Entitlement Matrix, DFCCIL की वेबसाईट [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org) पर "Public Notices" सेक्शन में भी उपलब्ध है।
- 5(ii):- रेल मंत्रालय ने DFCCIL के लिए भूमि के बदले नौकरी देने के कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।
- 5(iv):- DFCCIL के लिए भूमि अवाप्ति चाहे वह जमीन नगर निगम क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, समस्त भू-अवाप्ति प्रक्रिया बिन्दु 5(i) व 5(iii) उपर में बताये सूचना अनुसार ही किया जाता है।



(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

Copy to:-

1. CPIO-131 & DD(PG) - In reference to Board letter no. RB/RTI/2014/010045652 dt. 12.09.2014.
2. SO & CPIO, Ministry of Law and Justice (Justice Department), New Delhi - In reference to letter no. 15011/63/2014-Justice (A.U.)-V dt. 13.08.2014

  
23/09/2014  
HOLYDAYS